

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या - 37 / 2025  
उनवान

1. रहीम पुत्र सुमार जाति  
मुसलमान निवासी झैलून  
(बूठिया) तहसील रामसर।

बनाम

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम  
आदेश

दिनांक 14.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रहीम पुत्र सुमार जाति मुसलमान निवासी झैलून (बूठिया) तहसील रामसर। का खातेदारी खेत खसरा संख्या 562/30 रकबा 8.5065 हेक्टैयर मौजा बूठिया पटवार मण्डल बूठिया में आया हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम रहीम पुत्र सुमार की जगह हबीब पुत्र सुमार भूलवंश दर्ज हो गया। राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबंदी ऑनलाईन करते समय अतः राजस्व रेकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम रहीम पुत्र सुमार करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 562/30 रकबा 8.5065 हेक्टैयर मौजा बूठिया पटवार मण्डल बूठिया के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का रहीम पुत्र सुमार नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।




  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

दिनांक 14.01.2025

क्रमांक : रीडर / 2025 / 4-6  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी रहीम पुत्र सुमार
3. पटवारी हल्का बूठिया।

  
उपखण्ड अधिकारी रामसर  
उपखण्ड अधिकारी  
रामसर